भारत का उच्चतम न्यायालय
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारान्तर्गत

आपराधिक अपील क्र. 1677/2010

कालू उर्फ लक्ष्मीनारायण ..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य ..... प्रत्यर्थी

: न्याय–निर्णय :

न्यायमूर्ति, श्री नवीन सिन्हा :

अपीलार्थी/मृतिका के पति, धारा 302 भा.द.वि. के अन्तर्गत हुई स्वयं की दोषसिद्धी जिसकी पुष्टी उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, से व्यथित है। प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है व प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है।

2. मृतिका ने अपीलार्थी से लगभग 6–7 वर्ष पूर्व विवाह किया था। दोनों ही अपने अवयस्क पुत्र के साथ अकेले रहते थे। दिनांक 14.10.1994 को देर शाम मृतिका के परिवारजनों को जो कि 30–40 कि.मी. दूर रहते थे सूचना प्राप्त हुई कि उनकी पुत्री जीवित नहीं रही। वे सभी दूसरी सुबह 6:00 बजे वहां पहुंचे एवं मृतिका के शव को मध्य कमरे में नीचे पड़ा हुआ व सफेद चादर से ढंका पाया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन सुबह 7:00 बजे दर्ज किया गया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उसी दिनांक को तैयार की गयी एवं शव परीक्षण भी दोपहर में कर लिया गया। पुलिस द्वारा जांच पूर्ण करने के पश्चात् भा.द.सं. की धारा 306 व 320 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप प्रस्तुत किए गए। विचारण के दौरान, साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302 भा.द.सं. को अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया। सत्र

न्यायाधीश द्वारा पाया गया कि धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप सिद्ध किए जाने चाहिऐ क्योंकि मृतिका को गलाघोंटकर मारा गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत प्रकट किया गया कि मृतिका को लटकाकर मारा गया है। दोनों ही न्यायालयों ने एकमत होते हुए निष्कर्ष दिया कि मृतिका द्वारा आत्महत्या नहीं की गई थी परंतु वह मानववध था।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री विनय नवारे द्वारा निवेदन किया गया कि मृतिका द्वारा आत्महत्या कारित की गई है। धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धी न्यायपूर्ण नहीं है। अपीलार्थी को 498–A के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। अपीलार्थी हेतू यह असंभव है कि वह अकेला ही मृतिका को 11 फीट उंचाई तक बलपूर्वक टांगने में समर्थ हो। शव का जमीन पर पाए जाने संबंधी तथ्य अभियुक्त के इस बचाव को महत्वहीन नहीं कर सकता कि मृतिका को आत्महत्या पश्चात् फंदे से उतारकर जमीन पर लाया गया। यदि अपीलार्थी द्वारा उसे फांसी पर लटकाया गया होता तब शव को छुपाने और अथवा रात्रि में ही शव–दाह करने से उसे कुछ भी नहीं रोक सकता था। उसका आचरण उसके अपराध के अनुकूल नहीं हैं। मात्र यह तथ्य कि मृतिका की मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थतियों में उसके ससुराल में हुई पर्याप्त नहीं है। धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अन्तर्गत अपीलार्थी पर सबूत का भार अधिरोपित करने हेतु यह तथ्य मात्र पर्याप्त नहीं है कि मृतिका की मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में उसके ससुराल में हुई। सबूत का भार प्रथमतः अभियोजन पर है कि वह आत्महत्या की संभावनाओं को दृष्टिगत न रखते हुए प्रथम दृष्ट्या ही मानव वध को सिद्ध करें। **शंभूनाथ मेहरा विरूद्ध अजमेर राज्य,** 1956 SCR 199; **सावल दास विरूद्ध बिहार राज्य,** (1974) 4 SCC 193; एवं **जोस विरूद्ध उप–निरीक्षक पुलिस, कोईलांडी एवं अन्य,** (2016) 10 SCC 519.

4. मध्यप्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित श्री सुनील फर्नांडीज़ विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रकरण की सभी परिस्थितियाँ अपीलार्थी के अपराध की

ओर अपरिहार्य रूप से इंगित करती हैं। मृत्यु, मानव वध प्रकृति की थी। मौखिक, शारीरिक व चिकित्सकीय साक्ष्य आत्महत्या के बचाव को पूर्णतः खारिज करती है।

5. हमने द्वय पक्षों के तथ्यों को विचारार्थ रखा, अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य एवं अन्य सामग्री का अवलोकन किया। मृतिका, अपीलार्थी व उसके अल्पवयस्क पुत्र के साथ अकेली रहती थी। मृतिका के रिश्तेदारों की साक्ष्य अभियोजन साक्षी क्र. 2 एवं 4 व उसके अभिभावकों की साक्ष्य अभियोजन साक्षी क्र. 2 व 8 से स्पष्ट है कि मृतिका व अपीलार्थी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। तनावपूर्ण रिश्ते के कारण ही मृतिका घटना से पहले लगभग 10 माह तक अपने माता–पिता के घर पर थी व इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से लगभग 1 माह पहले ही श्वसुर जी द्वारा लाऐ जाने पर घर लौटी थी। हमें अभियोजन साक्षी क्र. 6 व 8 की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्राप्त नहीं हुआ है।

6. साक्षी क्र. 5 द्वारा कहा गया कि उसने मृतिका के हाथों पर गाय का गोबर देखा था जो यह इंगित करता है कि जब मानव वध कारित किया गया वह कार्यरत् थी। उसने धारा 161 के अंतर्गत दिए अपने कथनों में यह कहा है, प्रतिपरीक्षण के दौरान जब उनसे इसके विलोपन के संदर्भ में पूछा गया तब उसने इस बात को दोहराया। उसके उक्त विलोपन बाबत् जब अभियोजन साक्षी क्र. 17, विवेचना अधिकारी से (u/s 145 दं.प्र.सं.) पूछा गया तब उत्तर में उन्होनें साक्षी क्र. 5 के उपरोक्त संदर्भ में कथनों के होने अथवा न होने संबंधी स्मरण न होना बताया। यह प्रश्न विशिष्ट रूप से धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त को पूछा गया तब उसके द्वारा मात्र अस्वीकारोक्ति दी गई। अपीलार्थी द्वारा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत एकमात्र यही प्रतिरक्षा की गई है कि उसे झूठा फंसाया गया है। तत्प्रयोजन से ही अभियोजन द्वारा यह पर्याप्त रूप से सिद्ध किया गया है कि हांथों पर गाय का गोबर लगा हुआ था जो इंगित करता है कि जब हमला हुआ तब वह घरेलू कार्यों में व्यस्त थी।

7. मृतिका की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बताती है कि उसके बाल खुले हुए व बिखरे हुए थे, दोनों आँखे बंद थी और मुँह तथा नाक से झाग बाहर आ रहा था, जीभ अंदर थी और दांत

दिखाई दे रहे थे। दांया हांथ पेट पर था एवं बांया हाथ जमीन पर होकर मुट्ठी आधी खुली थी। पीठ पर निशान था। शरीर को पलटने पर पीठ पर और निम्न भाग पर कालापन था। शव परीक्षण प्रतिवेदन में मृतिका की आयु 22 वर्ष होना बताई गई है व निम्नलिखित तथ्य अवलोकित किए गए :–

a) रक्तयुक्त झाग मुंह व नाक से बाहर देखा गया। गर्दन बांई तरफ मुड़ी हुई थी व लार मुंह के बांयी तरफ से बाहर आ रही थी। मृत्युपूर्व की चोटें उपस्थित थी। दांए हाथ की उंगलियों के उर्ध्वभाग (त्वचा के हिस्से) पर खरोंचे बांए 1/4'' से लेकर 1/2'' व चौड़ाई में 1/8'' से लेकर 1/4'' तक उपस्थित थी।

b) दांए हाथ की अग्रभुजा पर खरोंचे थी जो 1/2''X 1/2'' माप की थी।

बद्ध जहां दम घोंटने का निशान था वहां त्वचा की निचली सतह का विच्छेदन करने पर वह सूखा पाया गया, एम.एम.ऑफ. ट्रॉचेस लाल व भरा हुआ तथा रक्तयुक्त झाग वाला था। हृदय का दांया कक्ष रक्त से भरा हुआ तथा बांया कक्ष रिक्त था। जीभ दांतों के बीच जकड़ी हुई थी।

d) ठोड़ी व गले के बीच स्थित थाइरॉइड ग्लॅड के नीचे की हड्डी से उपर एक सुपरिभाषित गलाघोंटने का निशान था जिसकी चौड़ाई 1'' व गहराई 1/2'' थी जिसकी दिशा ठोड़ी की हड्डी से कान के पीछे के भाग की तरफ टेढ़ी थी। पीछे निशान खंडित थे। निशान का तल फीका और दृढ़ है और किनारा लाल तथा अधिक भरा हुआ था। बांये घुटने पर 7 से 12 दिन पुराना घाव पपड़ी युक्त था। सभी चोटें मृत्युपूर्व की थी व अभिमत दिया गया है कि मृतिका की मृत्यु दम घुटने (asphyxia) से हुई है जो लटकाने के परिणामस्वरूप हुआ।

8. मृत्यु–परीक्षण प्रतिवेदन व मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट दर्शित होता है कि मृतिका के शरीर पर आई चोटें आखिरी वक्त में किए गए संघर्ष व प्रतिरोध को स्पष्ट दर्शाती है। यह अस्वाभाविक है कि मृतिका ने स्वयं को फंदे पर लटकाकर मारने की

कोशिश की और उसका दांया हाथ पेट पर बांया हाथ जमीन पर, और दोनों मुट्ठियाँ आधीखुली हुई हों, यह तभी अधिक संभव है जब मृतिका को गला घोंटकर मारा जा रहा हो और जीवन की डोर उसके हाथ से धीमे–धीमे छूट रही हो। यह तथ्य कि मृतिका की गर्दन खींची हुई व लम्बी नहीं पाई गई, यह देखते हुए कि मृत शरीर अभी ताजा है, आत्महत्या की सभी संभावनाओं पर विराम लगा देता हैं। जीभ बाहर नहीं थी। खरोंचे व चोटें आत्महत्या की दशा में शरीर पर उपस्थित नहीं होती। गर्दन के आसपास कोई अस्थिभंग या अस्थिविस्थापन नहीं है। मृतिका की लार चेहरे अथवा सीने की तरफ न जाकर मुँह के बांई तरफ बह रही थी।

9. उच्च न्यायालय का मत है कि मृतिका को मृत्यु प्राप्ति तक टांगा गया। कमरे में पाया गया लकड़ी का लट्ठा जो अनाज भरने हेतु उपयोग किया जाता है, जिसमें एक रस्सी का टुकड़ा जो जमीन से 11 फीट 2 इंच लंबा लटका हुआ पाया गया है – आत्महत्या को नकारता है। मृतिका की लंबाई 5 फीट 4 इंच थी एवं यह धारणा करते हुए कि उसने स्वयं को 1 फुट 6 इंच और खींचा होगा, इसके पश्चात् भी 4 फीट का अन्तराल उसके और लट्ठे के बीच था, अतः आत्महत्या एक असंभावना है। हमारे द्वारा इस विचार से भिन्न जाने का कोई कारण नहीं पाया जाता। उच्चन्यायालय का निष्कर्ष भी अपीलार्थी को आत्महत्या का बचाव नहीं देता हैं। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा मानववध कारित होना ही पाया गया हैं। हम तुलनात्मक रूप से सत्र न्यायालय के दृष्टिकोण को मान्यता देते है जिसके तहत मृतिका का गला घोंटा गया है क्योंकि अपालार्थी द्वारा अकेले ही मृतक को टांगना संभव नहीं था। शव भी जमीन पर पड़ा हुआ मिला।

10. पूर्ववर्ती कारणों से हम संतुष्ट है कि अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा है कि मृत्यु घर के अंदर कारित किया हुआ एक मानव–वध है जहां मृतिका अपीलार्थी के साथ अकेली रहती थी। अपीलार्थी का आचरण उक्त परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मृतिका ने आत्महत्या की थी तब यह विचित्र है कि अपीलार्थी ने उसका शव उतारकर जमीन पर रखा परंतु किसी को भी सूचित नहीं किया, मृतिका के अभिभावकों को भी नहीं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि पारिवारिक सदस्यों को कोई सूचना

अपीलार्थी द्वारा या उसके कहने पर किसी अन्य द्वारा दी गई थी। अपीलार्थी दूसरी सुबह तक भी नहीं पाया गया जब उसके परिवारजन घर पहुंच गऐ थे। अपीलार्थी द्वारा संपूर्ण रात्र अनुपस्थित रहने का कोई तर्क बचाव में नहीं दिया है इसके विपरीत अभि. साक्षी क्र. 3 द्वारा 'अन्यतः उपस्थित होने की उक्ति' (plea of alibi) का प्रकरण अपीलार्थी के पक्ष में रखने का प्रयास किया है जबकि उसके स्वयं के द्वारा इस प्रकार की कोई प्रतिरक्षा धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत नहीं ली गयी।

11. घटना एक ग्रामीण परिवेश में, अक्टूबर माह के मध्य में घटित हुई है जब शाम जल्दी ही हो जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में लोग शाम होते ही घरों की तरफ लौटते है और अलसुबह ही जीवनचर्या प्रारंभ हो जाती है। यह अचंभित करने वाला है कि अपीलार्थी संपूर्ण रात्रि घर नहीं लौटा और उसे 21.10.1994 को अभिरक्षा में लिया गया ।

12. उपरोक्त परिस्थितियों में, सबूत का भार स्पष्ट रूप से अपीलार्थी पर है कि वह उन परिस्थितियों और स्थितियों का स्पष्टीकरण दे जिनमें मृतिका को उसके ससुराल के घर में मृत्यु, जो मानव वध है, प्राप्त हुई क्योंकि यह तथ्य विशिष्टरूप से व अनन्यतः उसी के ज्ञान में था। अपीलार्थी का प्रकरण यह नहीं है कि कोई अज्ञात व्यक्ति रात को घर में घुसा था। **हनुमंत एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन,** ए.आई.आर. 1952 सुप्रीमकोर्ट 343, में यह अवलोकनीय है कि :–

> ''10. यह स्मरण रखने योग्य है कि जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति की है, वहां ऐसी परिस्थितियाँ प्रथम–दृष्टया ही पूर्ण रूप से स्थापित की जाना चाहिए जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना अभिप्रेत हो एवं वे सभी तथ्य जिन्हें उपरोक्त प्रकार से स्थापित किया गया हो, अभियुक्त की सदोषता की ही कल्पना करते हों। पुनःश्च, परिस्थितियाँ निर्णायक स्वरूप की हों एवं अन्य किसी भी कल्पना को निषेधित करती हों। अन्य शब्दों में साक्ष्यों की कड़ी इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिए जो अभियुक्त के निरपराध होने संबंधी निष्कर्ष हेतू कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़ती

हो एवं यह दर्शाती हो कि मनुष्य की समस्त संभावनाओं के बाद भी कृत्य आरोपी द्वारा ही कारित किया गया हैं।

13. **तुलसीराम सहदू सूर्यवंशी एवं अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य** (2012) 10 SCC 373, में यह अवलोकन किया गया कि,

''23. यह स्थापित विधि है कि साक्ष्य विधि में तथ्य की अवधारणा एक नियम है, कोई तथ्य जो अन्यतः संदेहास्पद है उसकी धारणा किसी अन्य स्थापित तथ्य के द्वारा की जा सकती है। किसी तथ्य के अस्तित्व की अवधारणा, किसी सिद्ध तथ्य से करते समय न्यायालय युक्तियुक्त कारणों की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एक अधिक संभाव्य स्थिति तक पहुंचकर तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचता हैं, धारा 114 साक्ष्य अधिनियम 1872 की दृष्टि से उपरोक्त स्थिति बलवती होती है। यह न्यायालय को सक्षम बनाती है कि वह किसी तथ्य के अस्तित्व को अवधारित करें जिसका होना उसकी दृष्टि में अधिसंभाव्य है। इस प्रक्रिया में तथ्यों के अलावा प्राकृतिक घटनाक्रम, मानवीय आचरण इत्यादि को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित सिद्धांत का भी उपयोग किया जा सकता हैं। हम स्पष्ट करते है कि उक्त धारा द्वारा यह आशयित नहीं है कि अभियोजन को आरोपी का अपराध संदेह से परे साबित करने के भार से मुक्त करे परंतु यह वहां लागू होती है जहां अभियोजन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है व जिनके द्वारा किसी अन्य तथ्य के अस्तित्व संबंधी युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता हो और यह भी कि आरोपी स्वयं के विशिष्ट ज्ञान द्वारा ऐसे तथ्य को स्पष्ट करने में असफल रहा हो जिससे न्यायालय अन्य निष्कर्ष की तरफ रूख कर सके। पश्चिम बंगाल राज्य विरूद्ध मीर मोहम्मद ओमार का दृष्टांत यहां उल्लेखनीय है।

''38. न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा बताया गया है कि धारा 106 साक्ष्य अधिनियम को कुछ अपवादिक परिस्थितियों की आवश्यकतापूर्ति हेतु अधिनियमित किया गया है जहां अभियोजन हेतू कतिपय तथ्यों को स्थापित करना असंभव है जो विशिष्ट रूप से आरोपी के ज्ञान में हैं। शम्भूनाथ मेहरा विरूद्ध अजमेर राज्य में विद्वान न्यायाधीश द्वारा निम्नोक्त सिद्धांत बताया गया :

11. यह सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करती है कि आपराधिक प्रकरण में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होगा व धारा 106 निश्चित रूप से इस कर्तव्य से अभिमुक्ति प्रदान नहीं करती । इसके विपरीत, आपवादिक प्रकरणों में इसे उस हेतू से निर्मित किया गया है जहां अभियोजन हेतु किसी तथ्य को स्थापित करना या तो असंभव है अथवा अतीव कष्टसाध्य है, ''विशेषतः ज्ञात तथ्य'' जो अभियुक्त के ही ज्ञान में है व इसे सिद्ध करना उसके लिए न ही दुष्कर है न दुर्गम हैं।

शब्द ''विशेषतः'' बल देकर कहता है कि तथ्य जहाँ मुख्यरूप से अथवा आपवादिकतः मात्र उसी के ज्ञान में है।''

14. **त्रिमुख मारोती किरकान विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य, 2006 (10) SCC 681,** के एक समकक्ष प्रकरण में जहां घर के अंदर मानववध कारित किया गया अवधारित किया है कि :

''14. यदि कोई अपराध घर की एकांतता में, ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जहां आक्रमणकर्ता के पास स्वयं द्वारा चयनित समय व परिस्थिति में योजना बनाकर अपराध कारित करने का संपूर्ण अवसर उपलब्ध था ऐसी स्थिति में यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत का न्यायालयों द्वारा कठोरता से पालन किया गया तब अभियोजन हेतू अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत ही दुष्कर हो जाऐगा। एक न्यायाधीश आपराधिक विचारण का प्रतिनिधत्व मात्र इस हेतु नहीं करता कि किसी निर्दोष को दण्डित न कर दिया जाऐ। एक न्यायाधीश इस हेतू कर्तव्य से आबद्ध है कि दोषी व्यक्ति को छोड़ न दिया जाऐ। दोनों ही लोककर्तव्य हैं। (देखें स्टिरलैण्ड विरूद्ध निदेशक लोक अभियोजन – माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिजित पसायत की अनुमति से पंजाब राज्य विरूद्ध करनैल सिंह से अभिप्राप्त) कानून इस कर्तव्य की अपेक्षा नहीं करता कि अभियोजन असंभव प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करे। अभियोजन का कर्तव्य है कि तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए वह ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसे प्रस्तुत करने में वह सक्षम हैं। यहां धारा 106 साक्ष्य अधिनियम की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है जहां अनन्यतः जब कोई तथ्य किसी

व्यक्ति के ज्ञान में हो, उस बात को सिद्ध करने का भार मात्र उसी व्यक्ति पर होगा। इस धारा से संलग्न दृष्टांत (ख) द्वारा हम इसकी अन्तर्निहित भावना व इसकी व्यापकता को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।

"(ख) क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उस पर है।"

15. जहां कोई हत्या स्वरूप का अपराध घर के अंदर गुप्त रूप से किया गया है वहां निःसंदेह प्रकरण को सिद्ध करने का प्राथमिक भार तो अभियोजन पर है परंतु उस स्तर पर नहीं जैसा कि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में अनिवार्य हैं। यह भार तुलनात्मक रूप से कम ही रहेगा। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पारिवारिक सदस्यों पर भी यह समान भार रहेगा कि वे अपराध के कारित होने संबंधी अकाट्य तर्क प्रस्तुत करें। घर के सदस्यों को मौन रहने हेतु व किसी प्रकार का स्पष्टीकरण न देने पर मात्र इस अवधारणा पर नहीं छोड़ा जा सकता कि प्रकरण को सिद्ध करने का भार संपूर्णतः अभियोजन का है व अभियुक्त किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने हेतु कर्तव्याधीन नहीं है।

22. जहां अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है एवं अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा हो कि अपराध कारित किए जाने से ठीक पहले वे दोनों साथ देखे गऐ थे या अपराध ऐसे रिहाइशी घर में हुआ है जहां पति सामान्यतः निवास करता है, यह अविरल रूप से अधिष्ठीत किया गया है कि यदि आरोपी इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पत्नी को चोटें कैसे आईं अथवा असत्य स्पष्टीकरण देता है तब यह एक ऐसी सुदृढ़ परिस्थिति निर्मित करता है जो दर्शाता है कि वह ही अपराध किऐ जाने का दोषी है।''

15. हमारे मतानुसार जहां अभियोजन ने स्पष्ट रूप से प्रकरण को प्रथम–दृष्टया ही स्थापित कर दिया है वहां ऐसे न्यायनिर्णय जिन्हें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से सुंसंगति नहीं रखते हैं। एक बार जब अभियोजन द्वारा प्रथमदृष्ट्या ही

प्रकरण को सिद्ध कर दिया है, अपीलार्थी को अभीष्ट है कि वह धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिसमें घर के अंदर मृतिका की अप्राकृतिक मृत्यु हुई। उसके इस प्रकार असफल हो जाने के फलस्वरूप इस निष्कर्ष हेतु कोई संशय नहीं रहता कि वही मृतिका का हत्यारा हैं।

16. अपील सारहीन पाई जाती है। खारिज की जाती है। अपीलार्थी की जमानत रद्द की जाती है व दण्डादेश का शेष भाग भुगते जाने हेतू दो सप्ताह की समयावधि में समर्पण हेतु निर्देशित किया जाता है।

..... न्यायमूर्ति
(नवीन सिन्हा)

..... न्यायमूर्ति
(बी. आर. गवई)

नई दिल्ली,
07 नवम्बर, 2019

Disclaimer :- The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purpose, the english version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

प्रत्याख्यान :– स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के आंग्लभाषा संस्करण को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा।

Translated by :

Prachiti Taranekar
(J. J. Translator)
Highcourt of M.P.
Indore (M.P.)